ग्राम पंचायत मलाहत, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मलाहत, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मलाहत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री गुरचरण सिंह	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री चन्द्र शेखर	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत मलाहत, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	30.33
2)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली हेतु शेष	0.57
3)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करना	0.11
4)	7.3	प्रधान / सचिव द्वारा चैक से स्वयं राशि आहरित करके नगद रूप में भुगतान करना	2.46
5)	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	1.00
6)	8.2	आपूर्तिकर्ता से क्रय की गई खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना अनियमित भुगतान करना	0.64
7)	8.3	स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.30

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत मलाहत, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16.09.2024 से 20.09.2024 तक ग्राम पंचायत मलाहत के कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	12/2022	10/2022
2023-24	03/2024	08/2023

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा" ।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत मलाहत, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क **₹4000** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 791/2024 दिनांक 20/09/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत मलाहत द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित ऊना के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 311645 दिनांक 23/09/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत मलाहत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 778/2024 दिनांक 17/09/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/24 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान सात रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही)

Offline, स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) Offline, 15वां वित्तायोग Online, 14वां वित्तायोग Offline, इंदिरा आवास योजना / मुख्य मंत्री आवास योजना Offline, विवाह पंजीकरण शुल्क Offline व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2022-23	2506678.76	5289448.72	7796127.48	4695412.72	3100714.76
2	2023-24	3100714.76	2848603.7	5949318.46	2915872.7	3033445.76

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मलाहत के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.24 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **शून्य** था:-

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा **4(क)** का अंतशेष	3033445.76
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**3032728.46**
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	717.30
4)	**योग (2+3)**	**3033445.76**
5)	**अन्तर (4-1)**	**00.00**

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 778/2024 दिनांक 17/09/2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 629 दिनांक 20/09/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म,

कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए|

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹30.33 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 778/2024 दिनांक 17/09/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹3033445.76** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए|

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 778/2024 दिनांक 17/09/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 629 दिनांक 20/09/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण

में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेदार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 778/2024 दिनांक 17/09/2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 629 दिनांक 20/09/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.57 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 778/2024 दिनांक 17/09/2024 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 629 दिनांक 20/09/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक

31.03.2024 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹56780 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	51105	41700	92805	950	91855
2023-24	91855	41750	133605	76825	56780

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.11 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **(सलंग्न परिशिष्ट ग अनुसार)** वसूली गई राशि **₹11100** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2022-23	5400
2	2023-24	5700
	योग	**11100**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 783/2024 दिनांक 19/09/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 631 दिनांक 20/09/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 प्रधान / सचिव द्वारा चैक से स्वयं राशि आहरित करके ₹2.46 लाख का नगद रूप में भुगतान करना :-

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के दौरान स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से किए गए व्यय के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा **निम्न वर्णित ₹246332** की मजदूरी के लिए भुगतान प्रधान द्वारा चैक से स्वयं राशि आहरित करके नगद रूप में किया गया, जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार **₹1000** से अधिक राशि का भुगतान केवल चैक द्वारा ही सम्बन्धित को किया जा सकता है | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 785/2024 दिनांक 19/09/24 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 631 दिनांक 20/09/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट गया कि उक्त नगद भुगतान मजदूरों के बैंक खाते न होने के कारण किया गया था | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि नियमानुसार

मजदूरों को भुगतान करने से पूर्व उनके बैंक में खाते आवश्यक रूप में खुले होने चाहिए थे । अतः नियमों के विपरीत किए गए व्यय के दृष्टिगत राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है । सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए :-

क्रम संख्या	**चैक संख्या**	**दिनांक**	**आहरित की गई राशि (₹)**	**भुगतान की गई राशि (आहरित + हस्तगत) (₹)**	**टिप्पणी**
1	931654	05/04/22	30000	30136	मजदूरी
2	931655	12/04/22	43000	43912	मजदूरी
3	931657	15/06/22	56000	56980	मजदूरी
4	931661	14/07/22	43700	43804	मजदूरी
5	931668	20/10/22	32500	32052	मजदूरी
6	931669	28/12/22	39000	39448	मजदूरी
		योग		**246332**	

8.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.00 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार ₹100000** की सामग्री का क्रय मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि उक्त क्रय व्यापक प्रचार (Wide publicity)

अर्थात् कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर किया जाना अपेक्षित था | जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 784/2024 दिनांक 19/09/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 631 दिनांक 20/09/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है, जिसे सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए । अत: सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	शीर्ष का नाम	माह	वाउचर / बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	15वें वित्तायोग	08/23	P/5 26.08.23, 035 dtd 30.06.23	Sports India, Open Sabji Mandi Una	जिम का सामान	100000
					योग	**100000**

8.2 आपूर्तिकर्ता से क्रय की गई खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना ₹0.64 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25%

पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी कि कटौती नहीं कि जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्लयू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 10/2022 व 08/2023 में **निम्न विवरणानुसार ₹64470** की निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 789/2024 दिनांक 20/09/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 631 दिनांक 20/09/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्लू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है |

अत: **₹64470** के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बंधित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रम संख्या	**मद का नाम**	**वाउचर संख्या व माह**	**कार्य का नाम**	**बिल संख्या व दिनांक**	**आपूर्तिकर्ता**	**सामग्री**	**राशि (₹)**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	85 10/22	C/o Play Ground ward no. 1	2316 21.09.22	Guruchandan Govt. Contractor & Supplier	रेत, बजरी	27510

2	स्वच्छ भारत मिशन	8 08/23	C/o Drain System near H/O Gurbaksh to Railway line	2650 02.07.23	Guruchandan Govt. Contractor & Supplier	रेत, बजरी	36960
						योग	**64470**

8.3 आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्त्रोत पर ₹0.30 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एकल अनुबन्ध में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट "घ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹1480540** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹29610.80** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	योग (₹)	जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि
1	2022-23	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	रेत, बजरी इत्यादि	1015390	1015390	20307.80 (2% x 1015390)
2	2023-24	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	रेत, बजरी इत्यादि	465150	465150	9303.00 (2% x 465150)
				योग	**1480540**	**29610.80**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 790/2024 दिनांक 20/09/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 631 दिनांक 20/09/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹29610.80** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है । अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए । अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

9 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 779/2024 दिनांक 17/09/2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के

अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 630 दिनांक 20/09/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	**रजिस्टर / अभिलेख**	**फार्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

10 प्रत्यक्ष सत्यापनः-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 778/2024 दिनांक 17/09/2024 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 629 दिनांक 20/09/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज

(वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

12 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

5579-5583 20 NOV 2024 रा0/प्रति0

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)113/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत मलाहत, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

20 NOV 2024
450/प्रति0

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 4 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत मलाहत, विकास खण्ड ऊना व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	2506678.76	5289448.72	7796127.48	4695412.72	3100714.76
2	2023-24	3100714.76	2848603.7	5949318.46	2915872.7	3033445.76

सचिव,
ग्राम पंचायत, मलाहत
वि.ख. व जि. ऊना (हि०प्र०)

ग्राम पंचायत मलाहत, विकास खण्ड ऊना व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित)Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1234817.76	2726224	3961041.76	2995429	965612.76
2	2023-24	965612.76	1271428	2237040.76	1122509	1114531.76

स्वच्छ भारत मिशन 2022-23(PFMS Online), 2023-24 (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	74000	74000	74000	0
2	2023-24	0	647271	647271	647040	231

15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1224601	1452653	2677254	573839	2103415
2	2023-24	2103415	299429	2402844	544512	1858332

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	1035544.72	1035544.72	1035544.72	0
2	2023-24	0	601811.7	601811.7	601811.7	0

सचिव,
ग्राम पंचायत, मलाहत
वि.ख. व जि. ऊना (हि.प्र.)

17

IAY/MMAY (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	7152.00	204	7356	0.00	7356
2	2023-24	7356	224	7580	0	7580

विवाह पंजीकरण शुल्क (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	40083.00	823	40906	16600.00	24306
2	2023-24	24306	28440	52746	0	52746

14वां वित्तायोग Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	25	0	25	0.00	25
2	2023-24	25	0	25	0	25

सचिव,
ग्राम पंचायत, मलाहत
वि.ख. व जि. ऊना (हि.प्र.)

18

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	3033445.76
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1)	**3032728.46**
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि	717.30
4)	**योग (2+3)**	**3033445.76**
5)	**अन्तर (4-1)**	**00.00**

सचिव,
ग्राम पंचायत, मलाहत
वि.ख. व जि. ऊना (हि.प्र.)

<u>परिशिष्ट क-1</u>   पैरा संख्या 5(ख) में संदर्भित

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB UNA (OWN & GIA)	20013012548	1113814.46
	KCCB UNA (MARRIAGE REG. FEES)	50067118107	52746.00
	KCCB UNA (IAY/MMAY)	20013071070	7580.00
	HDFC UNA (15TH FC)	50100308163268	1858332.00
	HDFC UNA (SBM)	50100490189900	231.00
	HDFC UNA (14TH FC)	50100229195221	25.00
		योग	**3032728.46**
2		**हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)**	717.30
		योग (1+2)	**3033445.76**

सचिव,
ग्राम पंचायत, मलाहत
वि.ख. व जि. ऊना (हि.प्र.)

20

परिशिष्ट ख

पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत मलाहत, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	51105	41700	92805	950	91855
2023-24	91855	41750	133605	76825	56780

वि.ख. व जि. ऊना (हि.प्र.)

21

परिशिष्ट 'ग' पैरा संख्या 7.2 में सन्दर्भित

कार्यालय ग्राम पंचायत मलाहत

विकास खण्ड व जिला ऊना

DETAIL OF MARRIAGE REGISTRATION FEES YEAR 2022-2023							
कमाक सख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली शेष राशि
1	ANKUR THAKUR	23.01.2022	13.04.2022	115873/117	400	400	0
2	RAHUL JASWAL	22.04.2022	09.05.2022	115880/117	200	200	0
3	CHAMAN LAL	04.05.2022	23.05.2022	115884/117	200	200	0
4	SULABH DUBEY	11.05.2022	30.05.2022	115885/117	200	200	0
5	SHASHI KUMAR	08.04.2022	07.06.2022	115889/117	400	400	0
6	KUSHAL KAPIL	16.04.2022	13.06.2022	115890/117	400	400	0
7	SAMARDEEP THAKUR	15.04.2022	16.06.2022	115892/117	400	400	0
8	RAM KUMAR	12.05.2022	01.08.2022	115896/117	400	400	0
9	RAHUL KUMAR	09.05.2022	08.08.2022	115897/117	400	400	0
10	PANKAJ MOHAN	21.05.2022	17.08.2022	115902/117	400	400	0
11	MOHIT	09.10.2022	18.10.2022	115917/118	200	200	0
12	BALJEET SINGH	07.12.2022	22.12.2022	115921/117	200	200	0
13	RAMAN	02.12.2022	24.12.2022	115922/117	200	200	0
14	ABHISHEK THAKUR	08.12.2022	27.12.2022	115923/117	200	200	0
15	VARUN HAKUR	07.02.2023	24.02.2023	115930/118	200	200	0
16	VIKAS KUMAR	09.02.2023	27.02.2023	115931/118	200	200	0
17	NIKHIL SHARMA	22.02.2023	03.03.2023	115932/118	200	200	0
18	ROHIT KUMAR	09.02.2023	07.03.2023	115933/118	200	200	0
19	SANJIV KUMAR	04.01.2023	10.03.2023	115934/118	400	400	0
			TOTAL		5400	5400	0

सचिव,
ग्राम पंचायत, मलाहत
वि.ख. जि. ऊना (हि.प्र.)

22

कार्यालय ग्राम पंचायत मलाहत

विकास खण्ड व जिला ऊना

DETAIL OF MARRIAGE REGISTRATION FEES YEAR 2023-2024							
कमाक सख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली शेष राशि
1	KARAN KUMAR	11.03.2023	20.04.2023	115941/118	400	400	0
2	ASHISH BHATIYA	19.03.2023	27.04.2023	115942/118	400	400	0
3	KRISHAN KUMAR	08.12.2022	08.05.2023	115944/118	450	450	0
4	ANUJ AGGRWAL	11.05.2023	22.06.2023	115949/118	400	400	0
5	SUMIT KUMAR	31.08.2022	02.08.2023	115952/118	450	450	0
6	SANDEEP KUMAR	06.09.2022	02.10.2023	115957/118	400	400	0
7	DHARMAPAL	18.10.2023	07.11.2023	115958/118	200	200	0
8	MOHIT KUMAR	10.11.2023	23.11.2023	115959/118	200	200	0
9	RAJINDER SINGH	26.10.2023	25.11.2023	115960/118	200	200	0
10	SHUBHAM RANA	19.11.2023	04.12.2023	115961/118	200	200	0
11	LOVLY SHARMA	19.10.2023	11.12.2023	115965/118	400	400	0
12	SUSHANT SHARMA	08.12.2022	07.12.2023	115966/118	400	400	0
13	BHANU PRATAP	08.12.2023	30.12.2023	115969/118	200	200	0
14	PAWAN KUMAR	29.11.2023	08.01.2024	115970/118	400	400	0
15	SHIVPAL	19.11.2023	11.01.2024	115971/118	400	400	0
16	KARAN SHARMA	18.11.2023	17.02.2024	48075	400	400	0
17	RISHAB CHANDEL	03.03.2024	22.03.2024	48501	200	200	0
			TOTAL		5700	5700	0

प्रधान
ग्राम पंचायत मलाहत
वि.ख. व जि. ऊना (हि.प्र.)

- 23

परिशिष्ट 'च' पैरा संख्या 8.3 में सन्दर्भित

GRAM PANCHAYAT MALAHAT

2022-2023 में Guruchandan Govt. Cont. Una को किये गये भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	मद	फर्म का नाम	वाउचर संख्या	माह	बिल संख्या	दिनाकं	राशि(जी.एस.टी. को छोड़कर)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	08/2022-23	12.05.2022	1939	03.03.2022	15000
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	09/2022-23	12.05.2022	1962	06.03.2022	39600
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	10/2022-23	12.05.2022	1963	11.03.2022	12000
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	11/2022-23	12.05.2022	1986	11.03.2022	9100
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	42/2022-23	21.07.2022	2106	30.05.2022	12700
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	57/2022-23	29.08.2022	2176	01.07.2022	45000
7	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	58/2022-23	29.08.2022	2177	01.07.2022	15000
8	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	59/2022-23	29.08.2022	2178	02.07.2022	43500
9	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	60/2022-23	29.08.2022	2179	02.07.2022	43500

10	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	64/2022-23	13.09.2022	2175	01.07.2022	24950
11	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	65/2022-23	13.09.2022	2184	09.07.2022	34800
12	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	66/2022-23	13.09.2022	2215	14.07.2022	30000
13	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	67/2022-23	13.09.2022	2216	20.07.2022	34800
14	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	68/2022-23	13.09.2022	2227	22.07.2022	11600
15	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	69/2022-23	13.09.2022	2229	22.07.2022	3000
16	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	75/2022-23	03.10.2022	2262	15.09.2022	45640
17	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	76/2022-23	03.10.2022	2263	03.10.2022	37800
18	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	85/2022-23	20.10.2022	2316	21.09.2022	26200
19	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	117/2022-23	23.01.2023	2390	11.10.2022	20500

-24- 25

20	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	118/2022-23	23.01.2023	2409	27.10.2022	34800
21	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	119-2022-23	23.01.2023	2408	27.10.2022	39000
22	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	120/2022-23	23.01.2023	2410	29.10.2022	31900
23	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	129/2022-23	02.01.2023	2535	02.01.2023	7350
24	15वां वित्तायोग	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	09/2022-23	20.07.2022	2107	03.06.2022	41100
25	15वां वित्तायोग	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	10/2022-23	20.07.2022	2108	10.06.2022	23500
26	15वां वित्तायोग	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	11/2022-23	20.07.2022	2155	12.06.2022	38500
27	15वां वित्तायोग	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	12/2022-23	20.07.2022	2162	16.06.2022	20300
28	15वां वित्तायोग	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	13/2022-23	20.07.2022	2163	22.06.2022	11600
29	15वां वित्तायोग	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	18/2022-23	29.08.2022	2228	22.07.2022	4400

26

30	मनरेगा	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	60/2022-23	19.09.2022	2313	17.03.2023	36050
31	मनरेगा	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	61/2022-24	19.09.2022	2314	17.03.2023	46400
32	मनरेगा	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	62/2022-25	21.09.2022	2315	17.03.2023	17400
33	मनरेगा	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	63/2022-26	07.11.2022	2438	17.03.2023	36250
34	मनरेगा	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	64/2022-27	20.11.2022	2439	17.03.2023	36250
35	मनरेगा	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	65/2022-28	21.11.2022	2440	17.03.2023	39000
36	मनरेगा	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	66/2022-29	20.12.2022	2441	17.03.2023	15000
37	मनरेगा	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	67/2022-30	21.12.2022	2442	17.03.2023	31900
	TOTAL						1015390

— 27 —

वि.ख. व जि. डला (हि.अ.)

GRAM PANCHAYAT MALAHAT							
2023-2024 में Guruchandan Govt. Cont. Una को किये गये भुगतान का विवरण							
क्रम संख्या	मद	फर्म का नाम	वाउचर संख्या	माह	बिल संख्या	दिनाकं	राशि(जी.एस.टी. को छोड़कर)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	18/2023-24	05.06.2023	2617	03.04.2023	23400
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	38/2023-24	20.09.2023	2581	31.03.2023	11800
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	39/2023-24	20.09.2023	2696	09.07.2023	26400
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	46/2023-24	08.11.2023	2773	01.08.2023	27900
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	60/2023-24	28.12.2023	2744	12.07.2023	17400
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	61/2023-24	28.12.2023	2746	14.07.2023	5800
7	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	62/2023-24	28.12.2023	2747	14.07.2023	5800
8	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	63/2023-24	28.12.2023	2776	05.08.2023	2900
9	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	64/2023-24	28.12.2023	2775	03.08.2023	8700
10	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	65/2023-24	28.12.2023	2777	08.09.2023	18000
11	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	81/2023-24	23.03.2024	2935	02.01.2024	26600
12	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	82/2023-24	23.03.2024	2936	05.01.2024	11800
13	15वां वित्तायोग	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	23-03-2024	12.07.2023	2579	29.03.2023	17700
14	15वां वित्तायोग	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	23-04-2024	12.07.2023	2580	31.03.2023	15950

15	15वां वित्तायोग	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	23-09-2024	26.12.2023	2874	30.11.2023	14800
16	15वां वित्तायोग	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	23-10-2024	26.12.2023	2875	01.12.2023	11600
17	15वां वित्तायोग	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	23-11-2024	26.12.2023	2913	04.12.2023	17600
18	15वां वित्तायोग	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	16/23-24	20.03.2024	2914	06.12.2023	28000
19	15वां वित्तायोग	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	17/23-24	20.03.2024	2915	12.12.2023	11600
20	SBM	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	02/2023-24	07.06.2023	2631	01.06.2023	26100
21	SBM	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	03/2023-24	07.06.2023	2630	01.06.2023	15000
22	SBM	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	08/2023-24	17.08.2023	2650	02.07.2023	35200
23	SBM	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	18/2023-24	29.12.2023	2836	21.09.2023	29700
24	SBM	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	21/2023-24	08.02.2024	2818	16.09.2023	17700
25	SBM	Guruchandan Govt. Cont. Supplier	22/2023-24	08.02.2024	2837	30.09.2023	37700
						Total	465150

प्रधान (सचिव) मलाहत
वि.ख. व जि. कना (हि.प्र.)